INDUS ACTION

छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार 12(1)(सी) के 10 साल

दिसंबर 2021

INDUS ACTION

छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार 12(1)(सी) के 10 साल

सारांश

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक नींव की तरह महत्तवपूर्ण भूमिका निभाती है, किसी भी व्यक्ति के जीवन मे। जिस पर समाज का निर्माण होता है। इसके लिए संविधान मे शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा (12)(1)(सी) को लागू किया गया, जिसके माध्यम से समाज में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चों के लिए गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। इसके अंतर्गत गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों को अपनी कुल सीट के 25% सीट पर RTE (12)(1)(सी) के तहत बच्चों का दाखिला लेना अनिवार्य है। उक्त प्रावधान लागू होने के दस वर्ष पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है।

छत्तीसगढ़ एक युवा राज्य के रूप मे RTE (12)(1)(C) अधिनियम को लागू करने में सबसे अग्रणी राज्य रहा है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य छत्तीसगढ़ मे पिछले दस वर्षों मे शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा (12)(1)(सी) (RTE (12)(1)(C)) मे किए कार्य एवं उपलब्धता को दर्शना है। यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ मे उपलब्ध आरटीई पोर्टल पर उपस्थित जानकारी के आधार पर तैयार की गयी है, जिसमे समाज में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्गों के बच्चे, जो की इस अधिनियम का लाभ प्राप्त कर रहे, उनके शिक्षा एवं सामाजिक समावेशन के स्तर मे आये सुधार का मूल्याकन किया गया है। निम्न जानकारी के अंत मे, किए गए मूल्याकन के आधार पर कुछ सुझाव दिये गए है, जिससे मौजूदा प्रक्रियाओं किस प्रकार के सुधार किए जा सकते है, एवं अन्य प्रणालियों का निर्माण किया जा सकता है, जिसके माध्यम से शिक्षा एवं सामाजिक समावेशन के उद्देश्य को प्राप्त करने मे और सहायता प्राप्त हो।

इस अधिनियम की स्थापना के बाद विगत 10 वर्षों में, निम्नलिखित विकास देखे गये हैं:-

- छात्रों मे से 60% छात्र आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और 40% सामाजिक रूप से वंचित समूहों मे से हैं।
- राज्य मे MIS पोर्टल की स्थापना 2017 मे किया गया, जिसके माध्यम से भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया, ऑनलाइन लॉटरी प्रकिया की शुरुवात की गयी, एवं RTE से संबन्धित किसी भी समस्या का निराकरन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
- पोर्टल की स्थापना के बाद से तीन शैक्षणिक सत्रों में सीट भरने की दर में 14.5% की वृद्धि देखी गयी है। सत्र 2019-20 मे जिला बिलासपुर मे सर्वाधिक सीट एवं जिला नारायणपुर मे सबसे कम सीट निर्धारित की गयी थी। जिला महासमुंद मे सार्वधिक दाखिला कुल 85% एवं जिला बिलासपुर मे सबसे कम 35% ही दाखिला हुआ था।
- आरटीई पोर्टल पर दर्ज सख्या के आधार पर यह पाया गया है, कि प्रारंभिक कक्षाओं के छात्र उच्च कक्षाओं के छत्रों की तुलना में शैक्षणिक मूल्यांकन में बेहतर ग्रेड प्राप्त करते हैं।
- 10 शैक्षणिक सत्रों में आरटीई सीटों से छात्रों की ड्रॉपआउट दर 21.45% है।
- निजी स्कूलों में छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में शिक्षा का प्रकार एक मुख्य कारण है। राज्य भर में कुल 54% छात्र अपना पाठ्यक्रम हिंदी में, 44% अंग्रेजी में और 2% द्विभाषी रूप से सीखते हैं, हिंदी माध्यम के छात्र दूसरे माध्यम की तुलना में बेहतर प्रदर्शन एवं रैंक प्राप्त करते हैं।
- इस प्रावधान के तहत सभी शैक्षणिक वर्षों में बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का प्रवेश हुआ है। हालांकि, कुल छात्रों के अनुपात में लिंग अंतर 2010-11 में 10% से घटकर 2019-20 में 3% हो गया है।
- पोर्टल पर शिकायत निवारण के लिए तीन घटक प्रभावशाली है - जो की हेल्पलाइन नंबर , ईमेल व आरटीई पोर्टल है, इन तीनों से प्राप्त शिकायतो को वर्ष 2018-19 से निरंतर हल किया जा रहा है।

RTE के तहत पढ़ रहे छत्रों के लिए निर्धारित राशी का भुगतान राज्य एवं केंद्र से किया जाता है, लाभार्थी को प्राप्त होने वाली राशी मे होने वाली देरी को दूर करने के लिए पोर्टल के माध्यम से हस्तक्षेप किया गया है। सत्र 2019-20 एवं वर्तमान मे परियोजना अनुमोदन बोर्ड (PAB) द्वारा अनुमोदित राशी 30% ही थी। वर्तमान में सत्र 2020-21, मे कुल 161.5 करोड़ राशी का भुगतान राज्य स्तर से सीधे स्कूलों के अकाउंट मे किया गया है। जो की वर्ष 2014-15 से 2019-20 तक की लंबित राशी थी।

छत्तीसगढ़ में RTE 12(1)(c) के द्वारा इस समय कुल 3,01,317 छात्र पढ़ रहे है। राज्य के अनुसार RTE पोर्टल में कुल 6511 प्राइवेट स्कूल है, जिसमे वर्ष 2021-22 में कुल 83,006 सीट है, द्वितीय लॉटरी एवं लॉटरी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के पश्चात कुल 47,382 छात्रों का स्कूल में प्रवेश हुआ है जो की RTE सीट का 53.6% ही प्रवेश हुआ है।

इस रिपोर्ट के माध्यम से, हमने इस प्रावधान के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हुए विश्लेषण किया, और पाया कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) (सी) की जड़ें कितनी गहरी हैं। यद्यपि आरटीई 12(1)(सी) के तहत पढ़ने वाले बच्चों की संख्या एवं पंजीकृत निजी विद्यालयों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बच्चों को आयु-उपयुक्त कक्षाओं में स्कूलों में सामना करने के लिए समर्थन, शिक्षकों की क्षमता निर्माण, पदोन्नति को बढ़ावा देना, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों एवं गैर-द्विआधारी समुदायों के लिए सीटें, शिकायत निवारण में राज्य अधिकृत निकाय की सक्रिय भागीदारी, और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के अनुकूलित डेटा संग्रह और बुनियादी ढांचे का विकास, जैसा कि अधिनियम में वादा किया गया था, जैसे कार्यों की ओर राज्य को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक अगले कदम लेने होंगे। इससे सामाजिक समावेश को सुनिश्चित करने और गुणवत्तापूर्ण हस्तक्षेप के साथ राज्य को सही दिशा में ले जाने और अगले दशक को और मजबूत बनाने मे सहायता मिलेगी।

आरटीई अभियान

राज्य में अधिनियम के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयासों की झलक।
ऊपर आरटीई ऑनलाइन पोर्टल का स्क्रीनशॉट है। स्कूलों और समुदायों में अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैम्फलेट नीचे दिया गया है।

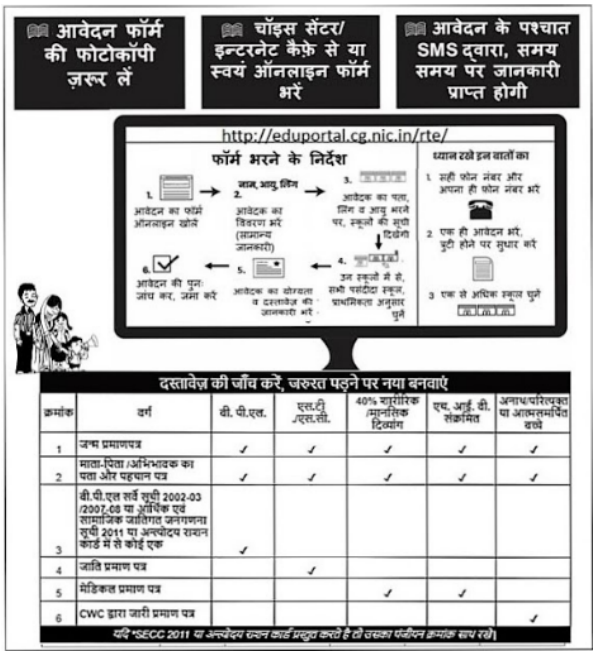

बिलासपुर में प्रशिक्षण, रायगढ़ में प्रशिक्षण, राजनांदगांव में ग्राउंड अभियान, बालोद में नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण, बलरामपुर और रायगढ़ के नोडल अधिकारियों और निजी स्कूल प्रशासकों का प्रशिक्षण, आरटीई हेल्पलाइन बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के साथ चर्चा, माननीय शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ द्वारा जारी की जा रही प्रतिपूर्ति राशी, दुर्ग में नोडल अधिकारियों एवं दंतेवाड़ा में डीईओ संचालक के साथ इंडस एक्शन की टीम।